न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 06/2020

GCMS No.—2020/00022

मूल्या पुत्र श्री लक्ष्मण जाति मीणा निवासी ग्राम काशीपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
...अपीलांट

बनाम

1. छोटा देवी पत्नि गंगाराम
2. निर्मल कुमार पुत्र गंगाराम
3. बसन्त कुमार पुत्र गंगाराम

   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम काशीपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व आदेश तहसीलदार बस्सी दिनांक 03.07.2017 (तकासमा) ग्राम काशीपुरा तह0 बस्सी, जिला जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री पवन कुमार शर्मा रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 13.07.2022

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी के निर्णय दिनांक 03.07.2017 जिससे ग्राम काशीपुरा, तहसील बस्सी स्थित भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 104/1 रकबा 8 बिस्वा, ख.न. 104/11 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 104/2 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 104/3 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 104/4 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 104/5 रकबा 12 बिस्वा, 104/8 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा के तकासमा आदेश किये गये से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.12.2019 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल तकासमा पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन कुमार शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या– 04 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक उभय पक्ष व पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पाडेन्ट्स ग्राम काशीपुरा स्थित भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। रेस्पाडेन्ट्स अपीलांट को राजस्व कैम्प में ले गये जहां पटवारी हल्का ने अपीलांट से खाली कागजो पर अगूंठा निशानी लगवा ली और अपीलांट के अनपढ होने का फायदा उठाकर कब्जे अनुसार विभाजन का विश्वास दिलाकर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अपीलाधीन तकासमा आदेश पारित करवा लिया। अपीलाधीन आदेश पारित होने के पूर्व से अपीलांट ने अपना मकान खसरा नंबर 104/5 में बना रखा था जिसमें अपीलांट ने 10 कमरे बना रखे थे एवं जिसमें अपीलांट निवास करता चला आ रहा है, परन्तु दौराने विभाजन प्रकिया में पटवारी ने जो विभाजन पत्र तैयार किया उसमें अपीलांट के आवासीय मकान को रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में दर्शा दिया गया जिसे तहसीलदार बस्सी द्वारा भी मौके पर बिना जांच किये स्वीकृत कर अपीलाधीन तकासमा आदेश पारित कर दिया। अपीलांट ने उक्त कृषि भूमियों में से हिस्सा 3/5 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1978 को क्रय की थी तब से अपीलांट अपनी खरीदी हुई जमीन पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 7अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.0.2017 विधि विधान, न्याय, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स के हिस्से के मकान रेस्पा0 के कब्जे में चले गये। ऐसी स्थिति में आपसी सहमति का विभाजन निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पाडेन्ट्स ने तहसीलदार व हल्का पटवारी से मिलीभगत कर बिना अपीलांट को सूचित किये मनमानी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर विभाजन पत्र तस्दीक किया गया है। अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर रेस्पाडेन्ट के खाते मे दर्ज कर दी गयी। अपीलांट को उक्त तकासमा आदेश की जानकारी 22.11.2019 को हुई जब रेस्पाडेन्ट उक्त भूमि पर पत्थरगढी करने पर उतारू हुये। जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से मिलकर दिनांक 25.11.2019 को जारी उक्त तकासमा आदेश की प्राप्त कर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी का तकासमा आदेश दिनांक 03.07.2017 निरस्त फरमाया जावे।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा तकासमा आदेश दिनांक 03.07.2017 के विरूद्ध दिनांक 03.03.2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है, जो प्रथम दृष्टया लिमिटेशन के बाहर होने से खारिज योग्य है। विभाजन पत्र पर अपीलांट मूल्या के हस्ताक्षर है एवं अपीलांट ने विभाजन पत्र पर सहमति प्रदान की है। यदि अपीलांट के हिस्से की भूमि मकानात आदि रेस्पा0 की सीमा में आता है तो रेस्पा0 अपीलांट के ना ही मकान को तोडेंगे किन्तु उतनी ही भूमि अपीलांट रेस्पा0 को देना सुनिश्चित करें। अपीलांट द्वारा गलत तथ्य पेश कर अपील पेश की है अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन तकासमा आदेश तहसीलदार बस्सी द्वारा नियमानुसार न्यायिक प्रकिया अपनाते हुए शुल्क जमा कर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट स को उसके खसरा नंबर 104/5 में बने हुए मकानात रेस्पा0 के हिस्से मे आ जाने से अपीलाधीन तकासमा आदेश निरस्त किया जावे। परन्तु अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि अपीलांट के हिस्से के आवासीय मकानात तकासमा आदेश के उपरान्त रेस्पाडेन्ट्स के हिस्से में चले गये। इस संबंध में रेस्पाडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि अपीलाधीन भूमि के सीमाकंन में अगर अपीलांट का मकान रेस्पा0 की सीमा में आता है तो अपीलांट अपने मकान जितनी भूमि रेस्पा0 को प्रदान करें, पैमाईश के संबंध में पक्षकारान सक्षम स्तर पर आवेदन कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट व रेस्पाडेन्ट के मध्य मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति के आधार पर तकासमा किये जाने हेतु पक्षकारान द्वारा सहमति प्रस्तुत की गयी थी, जिसके आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा राजस्थान काश्तकारी की अधिनियम की धारा 53 (2) (1) अनुसार खातेदार काश्तकारो की सहमति के आधार पर नायब तहसीलदार तूंगा द्वारा न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ग्राम काशीपुरा में तकासमा आदेश दिनांक 03.07.2017 को पारित किया गया, जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है, इसलिए अपीलाधीन तकासमा को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर